2025:CGHC:45771

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 287/2017

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 19.06.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 09.09.2025

मुकेश कुमार अग्रवाल पिता ओम प्रकाश अग्रवाल, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी लालटंकी रोड, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) (प्रतिवादी क्रमांक 2)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1– मुन्नी देवी पति रामप्रकाश अग्निहोत्री, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी –चूना भट्ठा के पास,कोतरा रोड, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) (वादी)

2– गंगा देवी, पति भानाराम शर्मा, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी–विकास नगर, गली नम्बर 3, कोतरा रोड, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) (प्रतिवादी क्रमांक 1)

3– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः कलेक्टर रायगढ़ , जिला रायगढ़, (छ.ग.) (प्रतिवादी क्रमांक 3)

4 – जीतेन्द्र देवांगन, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, कोतरा रोड, रायगढ़ (छ.ग.) (प्रतिवादी क्रमांक 4)

... प्रत्यर्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता सहित श्री संदीप पटेल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से : श्री विवेक त्रिपाठी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री किशन लाल साहू, उप–शासकीय अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 4 की ओर से : श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता की ओर से श्री सौरभ अग्रवाल अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास

(**सीएवी निर्णय**)

1. यह प्रथम अपील प्रतिवादी की ओर से विद्वान द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 16–अ/2012 (मुन्नी देवी विरुद्ध गंगा देवी व अन्य) में दिनाँक 31.03.2017 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को शून्य व अकृत घोषित कर आज्ञप्ति पारित किया गया है।

2. सुविधा हेतु, पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 16–अ/2012 में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

3. वाद पत्र के कथनों से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

(क) वादी ने घोषणा हेतु वाद दायर किया, जिसमें स्वत्व की घोषणा, कब्जा, वादी की बहन मुन्नी देवी अर्थात् गंगादेवी और मुकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल के मध्य निष्पादित दिनाँक 05.05.2003 के समझौते को, और तहसीलदार द्वारा मुकेश अग्रवाल के पक्ष में पारित दिनाँक 06.05.2003 के नामांतरण आदेश को, साथ ही अनु–विभागीय अधिकारी, रायगढ़ द्वारा पारित दिनाँक 22.10.2007 के अपीलीय आदेश को, बैकुंठपुर, वार्ड क्रमांक 22 पुराना रायगढ़ स्थित खसरा नम्बर 8/6 पर निर्मित 4 डिसमिल क्षेत्र के जर्जर भवन अर्थात् वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में शून्य व अकृत घोषित करने की मांग की। वादी ने मुख्य रूप से यह तर्क किया कि एक सूरजभान ने दिनाँक 07.04.1971 को कब्जे, बकाया और हर्जाने के लिए एक वाद,व्यवहार वाद क्रमांक 74–अ/72 के रूप में पंजीबद्ध, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II, रायगढ़ के समक्ष, दायर किया था, जो दिनाँक 20.10.1973 को आज्ञप्ति किया गया और जिसके अनुपालन में सूरजभान ने साक्षियों की उपस्थिति में वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा प्राप्त किया; तदनुसार, आज्ञप्ति को निष्पादित किया गया और निष्पादन कार्यवाही दिनाँक 03.01.1975 को खारिज कर दी गई। वादी को इस तथ्य की जानकारी दिनाँक 24.12.2007 को हुई, जब उसने उस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) यह वादी का यह भी प्रकरण है कि सूरजभान ने दिनाँक 20.10.1973 की आज्ञप्ति के अनुपालन में, नामांतरण और राजस्व अभिलेख में अपना नाम पंजीकृत करने हेतु सुधार के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार क्रम संख्या 278 पर, अभिलेखों में सूरजभान का नाम दर्ज किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि यह 2000/– रुपये में क्रय किया गया था और टिक्नू से क्रय किया गया था। वादी का यह भी प्रकरण है कि सूरजभान ने वादग्रस्त संपत्ति प्राप्त करने के उपरांत दिनाँक 21.10.1974 को गंगा देवी पत्नी भाना राम शर्मा व मुन्नी देवी पत्नी राम प्रकाश अग्निहोत्री के पक्ष में एक विक्रय–विलेख निष्पादित किया और वादग्रस्त संपत्ति का आधा भाग उन्हें विक्रय कर दिया तथा कब्जा प्रदान कर दिया और उन्होंने भी राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराया; मुन्नी देवी ने वर्ष 1985–86 में वादग्रस्त संपत्ति में अपना नाम दर्ज कराया और गंगा देवी ने भी राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराया।

(ग) वादी का यह भी प्रकरण है कि सूरजभान पुत्र देवी साई अग्रवाल ने भी एक जर्जर भवन अर्थात् वादग्रस्त संपत्ति को अपने नाम दर्ज कराया और अभिलेखों में वर्णित सीमाओं के अनुसार, पूर्व में फूलचंद का भवन, पश्चिम में मिलाप रावत का भवन, उत्तर में गली और दक्षिण में सड़क थी, तथा गंगादेवी पत्नी

भाना राम शर्मा, निवासी गांधीगंज, रायगढ़ की संपत्ति का वर्णन किया गया था, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 2 अर्थात् वादी की बहन गंगा देवी पति भाना राम शर्मा से पंजीकृत विक्रय–विलेख के माध्यम से क्रय किया जाना कहा गया है, तदनुसार, इसे उप–पंजीयक, स्टाम्प्स कार्यालय में क्रम संख्या 1705/अतिरिक्त/।/196 पर दर्ज किया गया था, जो कि वादग्रस्त संपत्ति है।

(घ) वादी का यह भी प्रकरण है कि प्रतिवादी क्रमांक 2/गंगा देवी ने अपने पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनाँक 03.12.1981 के माध्यम से खसरा नम्बर 8/5 क्षेत्र 0.032 हेक्टेयर वाली वादग्रस्त संपत्ति, जो बैकुंठपुर, रायगढ़ में स्थित है, अपने नाम दर्ज कराई। वादी का यह भी प्रकरण है कि वादग्रस्त संपत्ति पूर्व में खसरा नम्बर 8/1 घ क्षेत्र 0.52 डिसमिल थी, जो हीरालाल पुत्र समुंद यादव के नाम पर दर्ज थी, जिसमें से 0.08 डिसमिल अर्थात् 0.032 हेक्टेयर को अवयस्क मुकेश ने बाली पिता ओम प्रकाश को 95/– रुपये के विक्रय प्रतिफल हेतु दिनाँक 26.05.1984 को अपंजीकृत विक्रय–विलेख के माध्यम से विक्रय किया। तत्पश्चात्, उसने नामांतरण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर नामांतरण आदेश दिनाँक 02.08.1986 को पारित किया गया और किस्तबंदी खतौनी में, मुन्नी देवी पत्नी राम प्रकाश अग्निहोत्री का नाम हटाकर मुकेश कुमार पिता ओम प्रकाश का नाम दर्ज किया गया। इसके विरुद्ध मुन्नी देवी/वादी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसने प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया ताकि मुन्नी बाई और गंगा देवी व अन्य सभी हितधारकों की सुनवाई के उपरांत आदेश पारित किया जा सके। मुकेश/प्रतिवादी ने अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसने अनु–विभागीय अधिकारी के आदेश दिनाँक 24.11.1988 को अपास्त कर दिया। इसके विरुद्ध वादी ने दिनाँक 28.04.1993 को विद्वान राजस्व मंडल के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की और वादी गंगा देवी द्वारा दायर पुनरीक्षण को दिनाँक 02.09.1998 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और अनु–विभागीय अधिकारी के दिनाँक 24.11.1988 के आदेश को बहाल कर दिया गया तथा प्रकरण को नए सिरे से निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ड़) वादी का यह भी प्रकरण है कि प्रतिप्रेषण के उपरांत, तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 4– मुन्नी देवी जो कोरबा की निवासी है, ने तहसीलदार के समक्ष यह तर्क किया कि वे प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ विवाद को समझौता करने की प्रक्रिया में हैं, तदनुसार, प्रकरण को समझौते हेतु दिनाँक 02.05.2003 को सुनवाई के लिए नियत किया गया और दिनाँक 02.05.2003 को पुनः समझौते के प्रस्तुतीकरण हेतु स्थगन चाहा गया। इस प्रकार, प्रकरण को दिनाँक 05.05.2003 को नियत किया गया और उस दिन, 4 डिसमिल भूमि मुकेश को प्रदान कर दी गई। वादी का यह भी प्रकरण है कि मुकेश ने वादग्रस्त संपत्ति पर अस्थायी गोदाम का निर्माण कर डंपिंग की और उससे लाभ अर्जित किया, अतः उसने प्रतिवादी क्रमांक 2/मुकेश कुमार

अग्रवाल से 3,24,000/– रुपये के मध्यवर्ती लाभ के साथ–साथ वादग्रस्त संपत्ति की घोषणा और कब्जे के लिए वर्तमान वाद दायर किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 2 ने वादपत्र में लगाए गए विक्रय–विलेख और समझौते के निष्पादन से संबंधित आरोपों का खंडन करते हुए एक लिखित कथन प्रस्तुत किया। यह तर्क किया गया कि मुन्नी देवी और गंगा देवी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिए उनके द्वारा कोई छलयोजना या कपट नहीं किया गया है और वादी की अनुपस्थिति में गंगा देवी ने कोई कपट नहीं किया है। व्यवहार न्यायालय के साथ–साथ राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष प्रारंभ की गई कार्यवाही के संबंध में कोई खंडन नहीं है। यह भी तर्क किया गया है कि समझौते को बिना किसी कपट के निष्पादित किया गया था और वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के साक्ष्य और अभिवचनों के आधार पर, कुल छह विवाद्यक विरचित किए, जो निम्नानुसार हैं:

> "1. क्या वादी बैकुण्ठपुर वार्ड नंबर 22 नगरपालिका परिक्षेत्र रायगढ़ में स्थित भवन नंबर 8/5 रकबा 0.032 हे0 की स्वत्वधिकार है ?
>
> 2. क्या उक्त विवादित भवन के संबंध में गंगादेवी (प्रतिवादी कमांक 1) के द्वारा मुकेश कुमार (प्रतिवादी कमांक 2) के पक्ष में निष्पादित राजीनामा पत्र दिनाँक 05/05/2013 अवैध होने से शून्य है ?
>
> 3. क्या वादी वाद भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है ?
>
> 4. क्या वादी प्रतिवादीगण से वादभूमि का मध्यवर्ती लाभ 3,24,000 रूपये पाने का अधिकरी है ?
>
> 5. क्या वादी ने दावे का उचित मूल्यांकन कर उचित न्याय शुल्क अदा किया है ?
>
> 6. सहायता एवं वाद व्यय ?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. वादी ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए मुन्नी देवी (अ.सा.–1) और राम प्रकाश अग्निहोत्री (अ.सा.–2) का परीक्षण कराया तथा दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जिनमें विक्रय–विलेख दिनाँक 24.09.1968 (प्रदर्श पी/1), बेदखली वाद में सूरजभान द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति (प्रदर्श पी/2), निर्णय और आज्ञप्ति दिनाँक 20.10.1973 की प्रति (प्रदर्श पी/3), निष्पादन कार्यवाही की आदेश–पत्रक की प्रति (प्रदर्श पी/4), निष्पादन कार्यवाही शुरू करने हेतु आवेदन की प्रति (प्रदर्श पी/5), कुर्की आवेदन की प्रति (प्रदर्श पी/6), कब्जा वारंट की निष्पादन रिपोर्ट (प्रदर्श पी/7), नामांतरण आदेश

दिनाँक 30.04.1978 (प्रदर्श पी/8), विक्रय–विलेख दिनाँक 03.12.1981 सूरजभान से गंगा देवी (प्रदर्श पी/9), विक्रय–विलेख दिनाँक 03.12.1981 सूरजभान से मुन्नी देवी (प्रदर्श पी/10), वर्ष 1985–87 के लिए पी–II की प्रति जिसमें गंगा देवी का नाम दर्ज है (प्रदर्श पी/11), वर्ष 1985–87 के लिए पी–II की प्रति जिसमें मुन्नी देवी का नाम दर्ज है (प्रदर्श पी/12), राजस्व कार्यवाही में टिक्नू को भेजा गया नोटिस (प्रदर्श पी/13), राजस्व कार्यवाही में पारित आदेश (प्रदर्श पी/14), राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी/15), वर्ष 1984–85 के लिए संधारण खसरा की प्रति (प्रदर्श पी/16), वादग्रस्त संपत्ति का मानचित्र (प्रदर्श पी/17), राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनाँक 02.09.1998 की प्रति (प्रदर्श पी/18), बी–1 की प्रति (प्रदर्श पी/19 एवं पी/20), प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में नामांतरण आदेश की प्रति (प्रदर्श पी/21), नामांतरण कार्यवाही के स्वत्व पृष्ठ की प्रति (प्रदर्श पी/22), प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा दायर नामांतरण आवेदन की प्रति (प्रदर्श पी/23), नामांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील कार्यवाही की आदेश–पत्रक की प्रति (प्रदर्श पी/24), अपील ज्ञापन की प्रति (प्रदर्श पी/25), प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा दायर अपील का जवाबदावा (प्रदर्श पी/26), प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के मध्य समझौते की प्रति (प्रदर्श पी/27), अपील में अनु–विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.10.2007 (प्रदर्श पी/28), सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन नोटिस (प्रदर्श पी/29), धारा 80 के अधीन दायर नोटिस की रसीद (प्रदर्श पी/30) तथा पावती रसीद (प्रदर्श पी/31 एवं 32) सम्मिलित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रतिवादी ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए मुकेश (ब.सा.–1) का परीक्षण कराया तथा दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जिनमें व्यपवर्तन की प्रीमियम रसीद की प्रति (प्रदर्श डी/1), राजस्व कार्यवाही की आदेश–पत्रक की प्रति (प्रदर्श डी/2), व्यपवर्तन हेतु आवश्यक सुसंगत दस्तावेजों की प्रति (प्रदर्श डी/3), अपील में अनु–विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.10.2007 (प्रदर्श डी/4), तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनाँक 06.05.2003 की प्रति (प्रदर्श डी/5), मानचित्र की प्रति (प्रदर्श डी/6), वर्ष 1994–95 के लिए खसरा पंचशाला की प्रति (प्रदर्श डी/7), वर्ष 1993–94 के लिए बी–1 (प्रदर्श डी/8), अधिकार अभिलेख की प्रति (प्रदर्श डी/9), सूरजभान एवं मुन्नी देवी के मध्य निष्पादित विक्रय–विलेख दिनाँक 11.12.1985 (प्रदर्श डी/10) एवं हीरालाल से मुकेश अग्रवाल के मध्य निष्पादित विक्रय–विलेख दिनाँक 26.05.1984 (प्रदर्श डी/11) सम्मिलित हैं।

8. मुन्नी देवी (अ.सा.–1) का परीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार शपथ पत्र के माध्यम से किया गया जिसमें उसने वाद पत्र में अपने द्वारा लिए गए पक्ष को दोहराया है और प्रतिवादी द्वारा उससे प्रति–परीक्षण किया गया जिसमें उसने स्वीकार किया कि सूरजभान ने वादग्रस्त संपत्ति हीरालाल से क्रय की थी और हीरालाल मूल भूस्वामी था तथा सूरजभान द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करने के उपरांत विक्रय किया गया है।

9. राम प्रकाश अग्निहोत्री (अ.सा.–2) का परीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार शपथ पत्र के माध्यम से किया गया जिसमें उसने वादी के प्रकरण का समर्थन करते हुए यह कथन किया कि हीरालाल वादग्रस्त संपत्ति का मूल स्वामी था और उसने वादग्रस्त संपत्ति मुकेश को विक्रय की थी। उसने यह भी कथन किया कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि यदि पिछले स्वामी के सुधार के दौरान कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे सुना जाना आवश्यक है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने 8 डिसमिल भूमि क्रय की है। इस साक्षी से प्रति–परीक्षण किया गया जिसमें उसने स्वीकार किया कि वादग्रस्त संपत्ति का खसरा नंबर 8/1 घ है। उसने इस बात से इनकार किया कि हीरालाल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय किया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि सूरजभान ने विवादित भूमि की सीमाएं नहीं दी थीं। उसने स्वेच्छा से कथन किया कि 3811 वर्ग फुट क्षेत्रफल का एक जर्जर भवन विद्यमान था।

10. मुकेश (ब.सा.–1) का परीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत शपथ पत्र के माध्यम से किया गया जिसमें उसने अपने लिखित कथन में लिए गए पक्ष को दोहराया है और प्रति–परीक्षण में उसने कथन किया कि जब राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के उपरांत तहसीलदार के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था तब उसने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि मुन्नी देवी और गंगा देवी को पक्षकार क्यों बनाया जाना है और उनकी क्या भूमिका है। उसने इस बात से इनकार किया कि टिक्नू ने हीरालाल की भूमि क्रय की थी और टिक्नू एवं हीरालाल की भूमियां पृथक हैं। वह इस बात से अवगत नहीं है कि प्रदर्श पी/7 के निष्पादन के आधार पर सूरजभान के नाम पर नामांतरण आदेश प्रदर्श पी/8 किया गया है। वह इस बात से भी अनभिज्ञ है कि तहसीलदार के न्यायालय में गंगा देवी के साथ कोई समझौता निष्पादित किया गया था। उसने यह भी कथन किया कि उसने दस्तावेज प्रदर्श डी/11 प्रस्तुत किया है जो समझौते से संबंधित है और यह भी कहा कि संपूर्ण कार्यवाही उसके पिता ओम प्रकाश और गंगा देवी के मध्य संचालित की गई थी जिसमें वह नोटरी जानकी प्रसाद पटेल के समक्ष उपस्थित नहीं था। उसने यह भी कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही में उसने कभी भाग नहीं लिया और उसके पिता ओम प्रकाश ने भाग लिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने वकालतनामा (प्रदर्श पी/23) में अपने हस्ताक्षर किए हैं। उसने यह भी कथन किया कि दस्तावेज प्रदर्श पी/27 जो एक समझौता है वह गलत है। उसने यह भी कथन किया कि दस्तावेज (प्रदर्श डी/11) जो एक समझौता है वह गलत है किंतु उसने इस संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। उसने यह भी कथन किया कि प्रदर्श डी/11 के अनुसार उसने 8 डिसमिल भूमि क्रय की है और प्रदर्श डी/10 के अनुसार उसने 44 डिसमिल भूमि क्रय की है। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श डी/10 एवं डी/11 के अनुसार भूमि का विक्रेता हीरापुर का निवासी है। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके द्वारा क्रय की गई 8 डिसमिल भूमि में से 4 डिसमिल भूमि पर गंगा देवी का कब्जा है। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसने समझौते के आधार पर 4 डिसमिल भूमि का कब्जा गंगा देवी को दिया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्री का परिशीलन करने के उपरांत वादी के वाद को आज्ञप्ति कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक क्रमांक 2 का निर्णय करते समय यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि समझौते में यह उल्लेख किया गया है कि विचार–विमर्श के पश्चात समझौता निष्पादित किया गया है और समझौते के अनुपालन में प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगा देवी की 4 डिसमिल भूमि और मुन्नी देवी की 4 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम पर अंतरित की जानी है और जब प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगा देवी केवल उसी 4 डिसमिल भूमि को अंतरित करने की हकदार है जो उसके नाम पर दर्ज है तब वह मुन्नी देवी की 4 डिसमिल भूमि के लिए विक्रय–विलेख कैसे निष्पादित कर सकती है इसलिए प्रदर्श पी/27 अधिकारिता विहीन होने के कारण शून्य व अकृत है। तदनुसार नामांतरण आदेश दिनाँक 06.05.2003 (प्रदर्श पी/21) और आदेश दिनाँक 22.10.2007 (प्रदर्श पी/28) भी शून्य व अकृत हैं इसलिए यह सिद्ध होता है कि वादी खसरा नंबर 8/5 क्षेत्रफल 0.032 हेक्टेयर जो कि 4 डिसमिल है के भूमि स्वत्व की घोषणा प्राप्त करने की हकदार है और प्रतिवादी क्रमांक 2 का वादग्रस्त संपत्ति पर कोई स्वत्व नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय और आज्ञप्ति से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रमांक 2 ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आज्ञप्ति अवैध त्रुटिपूर्ण और विधि के प्रतिकूल है। उन्होंने आगे तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 06.05.2003 और अनु–विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.10.2007 को शून्य व अकृत घोषित करने तथा यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर भूल की है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के मध्य हुआ समझौता अवैध था और वह प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के मध्य दुरभिसंधि से किया गया था। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में असफल रहा कि जब समझौता हुआ तब वादी के अधिवक्ता 06.05.2003 को उपस्थित हुए थे और उन्होंने वादी की ओर से समझौते के आवेदन पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे इसलिए उक्त समझौते को वादी की ओर से किया गया समझौता माना जाएगा। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में असफल रहा कि वादी ने कब्जे के लिए वाद दायर किया था तथापि वादी द्वारा वाद पत्र में यह प्रकट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने उसे वाद भूमि से कब बेदखल किया जो यह सिद्ध करता है कि वादी कभी भी वाद भूमि के कब्जे में नहीं रही और प्रतिवादी क्रमांक 2 वाद भूमि के भौतिक कब्जे में था इसलिए यदि सूरजभान अग्रवाल द्वारा वाद भूमि का कब्जा सौंपे बिना वादी के पक्ष में कोई विक्रय–विलेख निष्पादित किया गया था तो ऐसे विक्रय–विलेख से वादी के पक्ष में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

13. उन्होंने आगे तर्क किया कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के विक्रय–विलेखों में विक्रय की गई भूमि का खसरा नंबर उल्लिखित नहीं है केवल चर्तुसीमा का उल्लेख है जो प्रतिवादी क्रमांक 2 के विक्रय–विलेख की चर्तुसीमा से भिन्न है। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य निष्पादित विक्रय–विलेख के अनुसार उनमें से आबादी भूमि का विक्रय किया गया था जबकि वादी ने

साक्ष्य में स्वीकार किया कि खसरा नंबर 8/1 घ आबादी भूमि नहीं है जो यह सिद्ध करता है कि वादी ने किसी अन्य भूमि को क्रय किया है जो खसरा नंबर 8/1 घ का भाग नहीं है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य के बिना कि वादी की ओर से निष्पादित समझौता कूटरचित है वाद को आज्ञप्ति करने में अवैधता की है। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि जब कार्यवाही में अधिवक्ता द्वारा उचित प्रतिनिधित्व किया गया है तो यह वादी पर निर्भर था कि वह यह अभिवचन दे और सिद्ध करे कि उसे गुमराह किया गया था और उसके साथ कपट किया गया है किंतु वादी द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं रखा गया जबकि विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि भार उस व्यक्ति पर होता है जो कपट का अभिवचन करता है और अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

14. दूसरी ओर वादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति का समर्थन करते हुए यह तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्री के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं जो न तो दोषपूर्ण हैं और न ही विधि के प्रतिकूल हैं। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि मुकेश (ब.सा.–1) के कथन के परिशीलन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वह किसी भी कार्यवाही के लिए राजस्व न्यायालय के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुआ और वह 06.05.2003 को प्रकरण के निराकरण के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 गंगा देवी के साथ हुए किसी भी समझौते से अवगत नहीं है और यह तथ्य केवल उसके पिता को ही ज्ञात है। उसने यह भी कथन किया कि उसके पिता ओम प्रकाश और गंगा देवी 05.05.2003 को नोटरी जनक प्रसाद के पास गए थे और उस तिथि को वह वहां उपस्थित नहीं था। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि उसने वकालतनामा में हस्ताक्षर किए हैं जैसा कि प्रदर्श पी/23 में परिलक्षित होता है और समझौते प्रदर्श पी/27 में उल्लिखित हस्ताक्षर गलत हैं इस प्रकार वादी ने विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है कि कपट किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष न तो विकृति और न ही अवैधता से ग्रसित है जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

16. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों से इस न्यायालय के अवधारणार्थ जो बिंदु उभर कर सामने आया है वह निम्नानुसार है:

> "क्या कपट कारित करके निष्पादित समझौते के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है?"

17. इस बिंदु की विवेचना हेतु इस न्यायालय के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन करना समीचीन है विशेष रूप से प्रदर्श पी/9 अर्थात् गंगा देवी एवं सूरजभान के मध्य निष्पादित विक्रय–विलेख दिनाँक 03.12.1981 प्रदर्श पी/10 अर्थात् मुन्नी देवी एवं सूरजभान के मध्य निष्पादित विक्रय–विलेख दिनाँक 03.12.1981 प्रदर्श पी/11 अर्थात् वर्ष 1985–86 के लिए खसरा पंचशाला की प्रति जिसमें गंगा देवी का नाम दर्ज है और प्रदर्श पी/12 अर्थात् वर्ष 1985–86 के लिए खसरा पंचशाला की प्रति जिसमें मुन्नी देवी का नाम दर्ज है। **प्रदर्श पी/9** के परिशीलन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि गंगा देवी एवं सूरजभान के मध्य निष्पादित विक्रय–विलेख दिनाँक 03.12.1981 में वादग्रस्त संपत्ति का विवरण ग्राम–बैकुंठपुर वार्ड क्रमांक 22 पुराना रायगढ़ खसरा नंबर 212 पटवारी हल्का नंबर 41 ब्लॉक–रायगढ़ नगर निगम–रायगढ़ के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसकी चर्तुसीमाएं इस प्रकार वर्णित की गई हैं कि पूर्व में मुन्नी देवी द्वारा क्रय की गई भूमि दक्षिण में सड़क उत्तर में गली और पश्चिम में मिलाप रावत का भवन है। **प्रदर्श पी/10** में जो मुन्नी देवी एवं सूरजभान के मध्य निष्पादित विक्रय–विलेख दिनाँक 03.12.1981 है वादग्रस्त संपत्ति का विवरण ग्राम–बैकुंठपुर वार्ड क्रमांक 22 पुराना रायगढ़ खसरा नंबर 212 पटवारी हल्का नंबर 41 ब्लॉक–रायगढ़ नगर निगम–रायगढ़ के रूप में वर्णित है। इसकी चर्तुसीमाएं इस प्रकार वर्णित हैं कि पूर्व में फूलचंद का भवन दक्षिण में सड़क उत्तर में गली और पश्चिम में गंगा देवी द्वारा क्रय की गई भूमि है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त के आलोक में यह अत्यंत स्पष्ट है कि दोनों संपत्तियां वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर पृथक रूप से क्रय की गई थीं और दर्ज थीं। तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की आदेश–पत्रक (प्रदर्श पी/22) के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि प्रारंभ में अधिवक्ता केवल प्रतिवादी क्रमांक 1 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तत्पश्चात् वही अधिवक्ता जो प्रतिवादी क्रमांक 1 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने दिनाँक 18.02.2003 की आदेश–पत्रक में मुन्नी देवी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर वादी की ओर से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके उपरांत प्रकरण की सुनवाई दिनाँक 22.04.2003 को हुई। उस तिथि को उभयपक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की और तदनुसार प्रकरण को दिनाँक 28.04.2003 के लिए नियत किया गया जिस तिथि को यह सूचित किया गया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है और उसके लिए उन्होंने मूल समझौता प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा। दिनाँक 30.04.2003 को वादी मुन्नी देवी अनुपस्थित थी और गंगा देवी के अधिवक्ता उपस्थित थे यद्यपि वह उभयपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इसके बावजूद तहसीलदार ने वादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की और प्रकरण को दिनाँक 02.05.2003 के लिए नियत कर दिया। कार्यवाही में मुकेश अग्रवाल और गंगा देवी की ओर से यह सूचित किया गया कि दोनों पक्ष समझौता प्रस्तुत करना चाहते हैं इसलिए समझौता प्रस्तुत करने हेतु स्थगन चाहा गया। दिनाँक 05.05.2003 को प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगा देवी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 मुकेश अग्रवाल के अधिवक्ता ने समझौता प्रस्तुत किया और उसके उपरांत भाना राम शर्मा का कथन दर्ज किया गया तथा समझौते के आधार पर तहसीलदार ने खसरा नंबर के ऊपर

'अधिलेखन' करते हुए खसरा नंबर 8/1घ क्षेत्रफल 0.178 हेक्टेयर और खसरा नंबर 8/6 क्षेत्रफल 0.016 हेक्टेयर की भूमि में मुकेश कुमार का नाम नामांतरित करने का आदेश पारित कर दिया।

19. विद्वान विचारण न्यायालय ने कण्डिका 21 में अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि जब मुन्नी देवी के अधिवक्ता दिनाँक 30.04.2003 को प्रतिनिधित्व कर रहे थे तब तहसीलदार ने गंगा देवी और मुकेश कुमार के मध्य हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर दिनाँक 05.05.2003 को मुन्नी देवी को एकपक्षीय मानकर अवैधता की है। न्यायालय ने अपना निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कारण भी बताए हैं जिन्हें दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रमांक 2 वादी की ओर से समझौता निष्पादित करने के लिए तब तक अधिकृत नहीं थी जब तक कि वादी की ओर से उसके पक्ष में कोई अधिकार–पत्र न दिया गया हो। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी और ऐसी सामग्री के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि विवाद्यक क्रमांक 1 और 2 के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष दोषपूर्ण या अवैध है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। यह वह कपट है जो अभिलेखों आदेश–पत्रक और अधिवक्ता के आचरण से परिलक्षित होता है जिससे यह स्पष्ट है कि वादी ने यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है कि वह न केवल अपनी बहन बल्कि अपने अधिवक्ता प्रतिवादी क्रमांक 2 और कार्यवाही संचालित करने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए कपट की शिकार हुई है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"17. "कपट" की परिभाषा–** "कपट" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में कोई भी ऐसा कार्य जी संविदा के एक पक्षकार द्वारा, या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा, संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो
>
> (1) जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है;
>
> (2) किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उन तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना;
>
> (3) कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो,
>
> (4) प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य
>
> (5) कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करे ।

20. विधि की यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कपट प्रत्येक कार्य को दूषित कर देता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विष्णु वर्धन उर्फ विष्णु प्रधान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** तथा अन्य संबद्ध प्रकरणों **[2025 आईएनएससी 884]** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> क. **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध राजेंद्र सिंह [(2000) 3 एससीसी 581]** के प्रकरण में इस न्यायालय ने पुन: यह दोहराया है कि कपट प्रत्येक कार्य को असफल कर देता है:
>
> **3.** "कपट और न्याय कभी साथ–साथ नहीं रहते" एक प्राचीन विधिक सूक्ति है जिसने इन तमाम शताब्दियों में अपना प्रभाव कभी नहीं खोया है। लॉर्ड डेनिंग ने बिना किसी संशय के स्पष्ट भाषा में यह विचार व्यक्त किया कि "न्यायालय के किसी भी निर्णय या किसी मंत्री के किसी भी आदेश को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती यदि वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया हो क्योंकि कपट प्रत्येक वस्तु को उजागर और असफल कर देता है" (लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड विरुद्ध बेस्ले [(1956) 1 क्यूबी 702])।(1956) 1 आल ईआर 341: (1956) 2 डब्लूएलआर 502 (सीए)])।
>
> ख. **सृष्टि धवन (श्रीमती) विरुद्ध शॉ ब्रोस. [(1992) 1 एससीसी 534]** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था:
>
> 20. कपट और दुरभिसंधि न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली में अत्यंत औपचारिक कार्यवाहियों को भी दूषित कर देते हैं। यह मानवीय आचरण का वर्णन करने वाली एक अवधारणा है। माइकल लेवी एक जालसाज की तुलना मिल्टन के जादूगर 'कोमस' से करते हैं जो अपनी इस क्षमता पर गर्व करता था कि 'मैं सरल हृदय वाले व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाकर जाल में फंसा सकता हूँ'। इसे छल या धोखे के कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है। वेबस्टर की थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में 'साम्या' में कपट को एक ऐसे कृत्य या लोप या छिपाव के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अंतरात्मा के विरुद्ध लाभ प्राप्त करता है जिसे साम्या या सार्वजनिक नीति दूसरे के प्रति प्रतिकूल होने के कारण वर्जित करती है। ब्लैक की लीगल डिक्शनरी में कपट को सत्य के जानबूझकर किए गए दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को उस पर विश्वास दिलाकर उसकी किसी मूल्यवान वस्तु को छुड़वाना या विधिक अधिकार का त्याग करवाना है; यह किसी तथ्य का शब्दों या आचरण द्वारा या मिथ्या या भ्रामक आरोपों द्वारा या उस बात को छिपाकर जिसे प्रकट किया जाना चाहिए था एक मिथ्या निरूपण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है जो दूसरे को धोखा देता है और धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि वह अपनी विधिक क्षति के लिए उस पर कार्य करे।

ग. **ए.वी. पपय्या शास्त्री विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार** [(2007) 4 **एससीसी** 221 के प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

21. अब यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई निर्णय या आदेश कपट से प्राप्त किया जाता है तो उसे विधि की दृष्टि में निर्णय या आदेश नहीं कहा जा सकता है। तीन शताब्दियों पूर्व मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने घोषणा की थी:

"कपट सभी न्यायिक कार्यों को चाहे वे धार्मिक हों या लौकिक शून्य कर देता है।"

22. अतः यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय अधिकरण या प्राधिकारी के साथ कपट करके प्राप्त किया गया निर्णय आज्ञप्ति या आदेश विधि की दृष्टि में शून्य व अकृत होता है। ऐसे निर्णय आज्ञप्ति या आदेश को चाहे वह प्रथम न्यायालय द्वारा दिया गया हो या अंतिम न्यायालय द्वारा प्रत्येक न्यायालय द्वारा चाहे वह वरिष्ठ हो या कनिष्ठ शून्य माना जाना चाहिए। इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी समय अपील पुनरीक्षण रिट या यहां तक कि सांपार्श्वीक कार्यवाहियों में भी चुनौती दी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. ***

24. डचेस ऑफ किंगस्टोन स्मिथ के लीडिंग केसेज के 13 वें संस्करण के पृष्ठ 644 में कपट की प्रकृति की व्याख्या करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी ग्रे ने कहा कि यद्यपि एक निर्णय 'प्रांगन्याय' होगा और भीतर से अभेद्य होगा किंतु इसे बाहर से चुनौती दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में यद्यपि यह दिखाने की अनुमति नहीं है कि न्यायालय "भ्रमित" था किंतु यह दिखाया जा सकता है कि उसे "गुमराह" किया गया था। भ्रम और धूर्तता के बीच एक अनिवार्य अंतर है। इस अंतर का स्पष्ट निहितार्थ यह है कि किसी निर्णय को अपास्त करने की कार्यवाही इस आधार पर नहीं लाई जा सकती कि इसका निर्णय गलत तरीके से किया गया है अर्थात् गुण–दोष के आधार पर निर्णय वह नहीं था जो दिया जाना चाहिए था बल्कि इसे तब अपास्त किया जा सकता है यदि न्यायालय पर अनुचित प्रभाव डाला गया या निर्णय देने के लिए उसके साथ धूर्तता की गई।

25. यह कहा गया है कि कपट और न्याय कभी साथ साथ नहीं रहते या कपट और धोखे से किसी को लाभ नहीं होना चाहिए ।

घ. लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) में लॉर्ड डेनिंग के निर्णय को जिसे बाद में **निधि कइम** (पूर्वोक्त) सहित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन

सहित उद्धृत किया गया है विधिक कार्यवाहियों में कपट के प्रति असहिष्णुता को निम्नलिखित शब्दों में पुष्ट किया:

कोई भी न्यायालय..... किसी व्यक्ति को उस लाभ को बनाए रखने की अनुमति नहीं देगा जो उसने कपट से प्राप्त किया है। कपट प्रत्येक वस्तु को असफल कर देता है। न्यायालय कपट का निष्कर्ष तब तक नहीं निकालने के प्रति सावधान रहता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से अभिवचित और सिद्ध न किया गया हो किंतु एक बार सिद्ध हो जाने पर यह निर्णयों संविदाओं और सभी संव्यवहार को दूषित कर देता है।

.....

.....

85. इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल विरुद्ध पंजाब राज्य [(2011) 12 एससीसी 588] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

17. यह एक सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि जहां कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के साथ मिथ्या निरूपण या कपट करके कोई आदेश या पद प्राप्त करता है तो ऐसा आदेश विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि कपट प्रत्येक वस्तु को असफल कर देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" साम्या को सदैव विधि को उन धूर्ततापूर्ण युक्तियों और नई सूक्ष्मताओं से बचाने के लिए जाना जाता है जो विधि से बचने के लिए आविष्कृत की गई हैं। यह सर्वविदित है कि "कपट और न्याय कभी साथ साथ नहीं रहते"। कपट जानबूझकर किया गया धोखे का एक कृत्य है जिसका उद्देश्य कुछ ऐसा प्राप्त करना है जो अन्यथा देय नहीं है। कपट और धोखा पर्यायवाची हैं। कपट सभी साम्या के सिद्धांतों के लिए अभिशाप है और कपट से दूषित किसी भी प्रकरण को किसी भी साम्या के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा जारी नहीं रखा जा सकता या बचाया नहीं जा सकता है। न्यायालय के साथ कपट के कृत्य को सदैव गंभीरता से लिया जाता है। [देखें मेघमाला विरुद्ध जी. नरसिम्हा रेड्डी (2010) 8 एससीसी 383]।

18. यद्यपि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी पक्षकार के लिए यह अनुमत है कि वह सक्षम न्यायालय से उसे अपास्त कराए बिना ही निर्णय और आदेश को शून्य व अकृत मान ले। यह विषय अब अनिर्णीत नहीं रह गया है और इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा सुस्थापित है। ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए चाहे वह शून्य ही क्यों न हो पक्षकार को उचित फोरम पर जाना होगा। [देखें केरल राज्य विरुद्ध एम.के. कुन्हींकन्नन नांबियार मंचेरी मणिकोथ (1996) 1 एससीसी 435]।

21. तदनुसार इस न्यायालय द्वारा अवधारित विचारणीय **बिंदु** का **उत्तर अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध और वादी के पक्ष में दिया जाता है** कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश दिनाँक 06.05.2003 (प्रदर्श पी/22) और अनु–विभागीय अधिकारी रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.10.2007 (प्रदर्श पी/28) को उचित रूप से अपास्त किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष ऐसी किसी भी विकृति या अवैधता से ग्रसित नहीं है जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

22. उपरोक्त के आलोक में यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है।

23. तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाए।

24. इस न्यायालय द्वारा दिनाँक 30.06.2017 को पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been डीone through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**